कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निदेशालय स्तर से द्वितीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष स्तर के पद की जारी हो चुकी वरिष्ठता सूचियों में नामांकन, विलोपन, योग्यता अभिवृद्धि एवं अन्य संशोधन के आदेश परीक्षण उपरांत राज्य स्तरीय आदेश जारी किए जाते है।

निदेशालय स्तर पर डीपीसी वर्ष 2021–22 हेतु द्वितीय वेतन श्रृंखला से उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। अतः इस सत्र में अर्जित योग्यता को जुड़वाने हेतु आवेदन करने से यदि कोई वंचित है तो निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रकरण मय दस्तावेज कार्यालयध्यक्ष/संस्था प्रधान/पीईईओ से अग्रेषित करवाकर सीबीईओ कार्यालय को **दिनांक 20 फरवरी 2021** तक प्रेषित करें। सीबीईओ कार्यालय समस्त प्रकरण संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय को प्रेषित कर, प्रमाण पत्र देगें कि दिनांक **20 फरवरी 2021** तक प्राप्त समस्त प्रकरण संभाग कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके है एवं कोई प्रकरण बकाया नहीं है।

निर्धारित तिथि तक सीबीईओ कार्यालय से प्राप्त समस्त प्रकरण संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग द्वारा जॉच उपरान्त कार्यालय स्तर से स्थाई वरिष्ठता सूची में इस हेतु उक्त कार्यवाही के आदेश प्रसारित कर **दिनांक 27 फरवरी 2021** तक आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करने के कारण मण्डल एव राज्य स्तरीय आदेश जारी नहीं होने की स्थिति में यदि कार्मिक वर्ष 2021–22 की डीपीसी से वंचित रहता है तो कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर।

कमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/वरि/के–2/11968/मानदण्ड/19–20/ दिनांकः 18.01.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर
5. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
6. प्रधानाचार्य, रा. उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
7. प्रधानाचार्य, रा. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
8. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु
10. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
12. समस्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी को निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु
13. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
14. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन अनुभाग को प्रकाशनार्थ
15. सहायक निदेशक, संस्थापन ए–बी/सी/एफ अनुभाग/अभिलेख/डीपीसी अनुभाग
16. समस्त संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि/ समस्त संबंधित कार्मिकों को पालनार्थ
17. प्रभारी शाला दर्पण

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)